

5/12/14

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीगण अनुरा
वकील प्राचीगण को -पायालय सभ में
रक-2 कर तीन बार सजा लगाई गई
लेकिन कोई इफ्तिया नहीं हुआ। अतः
वकील प्राचीगण व प्राची की अदालत लजरी
व अदालत फौजदारी में प्राची का आवेदन
स्वीकार बिना जातीय पत्रावली फैसला
शुमार होकर दायित्व दफतर है।

~~सहायक कलक्टर~~
घोहरन

